सामाजिक सेवाएं

16

सामाजिक सेवाएं

मुख्य बिन्दु

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2022–23 में 4,32,449 हितग्राही लाभान्वित।
- सुखद सहारा योजनांतर्गत वर्ष 2022–23 में 9,22,535 हितग्राही लाभान्वित।
- इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2022–23 में 6,69,135 हितग्राही लाभान्वित।
- इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2022–23 में 2,11,574 हितग्राही लाभान्वित।
- इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2022–23 में 33,446 हितग्राही लाभान्वित।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत वर्ष 2022–23 में 9,854 हितग्राही लाभान्वित।
- सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनांतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियो को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा मे सफल होने पर मुख्य परीक्षा तैयारी हेतु राशि रू. 1.00 लाख प्रदान जाती है।

समाज सेवा

16. विभाग द्वारा दिव्यांगजनों, निराश्रितों, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, बौने व्यक्तियों, उभयलिंगी व्यक्तियों, कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चों के पुनर्वास के साथ–साथ नशामुक्ति के संबंध में सकारात्मक वातावरण बनाने संबंधी विस्तृत कार्यक्रम संचालित किये जाते है। इन दायित्वों के निर्वहन हेतु विभाग अन्तर्गत विभिन्न अधिनियम प्रभावशील है।

16.1 सामाजिक सहायता कार्यक्रम

16.1.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन :– राज्य शासन द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के मूल निवासी को राशि रूपये 500/– प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के निम्न में से किसी एक श्रेणी का हो :–

- 6–17 वर्ष आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे। जिसमें 6–14 आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत् नहीं है उन्हें पात्रता नहीं होगी।
- 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति।
- बौने व्यक्ति।

16.1.2 सुखद सहारा योजना :–योजना का उद्देश्य विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है। जिसके तहत राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा तथा 18 वर्ष या अधिक आयु की परित्यक्त महिलाओं को राशि रूपये 500/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है।

16.1.3 मुख्यमंत्री पेंशन योजना:–योजना का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वे सूची के आधार पर सूचीबद्ध वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है, जिसके तहत राशि रूपये 500/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है। योजना का निम्नानुसार पात्रता है–

- 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध।
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाहोपरान्त परित्यक्त महिलायें।
- छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो,
- ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक–आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक के कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवारों की सूची में हो,
- नगरीय क्षेत्र के स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक–आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची में उल्लेखित –
    - घास का छत / छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा
    - प्लास्टिक / पॉलिथीन के छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा
    - पत्थर की छत में रहने वाले परिवार, स्लेट की छत में रहने वाले परिवार, अथवा
    - बेघर तथा बिना कमरे वाले घर में निवासरत परिवार की सूची में हो।

16.1.4 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :– राज्य में इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 से संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 से 79 वर्ष आयुवर्ग के वृद्धजनों को राशि रू. 500/– प्रतिमाह (राशि रूपये 300/– प्रतिमाह राज्यांश राशि सम्मिलित) तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को राशि रू. 650/– प्रतिमाह (राशि रूपये 150/– प्रतिमाह राज्यांश सम्मिलित) की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है।

16.1.5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :–यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 79 वर्ष आयुवर्ग की विधवाओं को रूपये 500/–प्रतिमाह पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रू. 200/– राज्यांश सम्मिलित है।

16.1.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना :—यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 से 79 वर्ष आयुवर्ग के गंभीर एवं बहुनिःशक्तता वाले निःशक्तजन को रूपये 500/—प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।उक्त पेंशन राशियों में राशि रूपये 200/— राज्यांश सम्मिलित है।

16.1.7 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :—योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन—यापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया स्त्री या पुरूष जिनकी आमदनी से परिवार का अधिकांश खर्च चलता है तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक 60 वर्ष से कम हो प्राकृतिक/आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस मुखिया को राशि रूपये 20,000/— की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा शत्—प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है।

सारणी 1. सामाजिक सहायता कार्यक्रम की प्रगति

योजना	2022-23		2023-24 सित. की स्थिति में	
	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	33280.44	4,32,449	18667.61	4,50,319
सुखद सहारा योजना	9198.91	9,22,535	4962.56	2,22,882
मुख्यमंत्री पेंशन योजना	20620.61	6,49,012	17413.14	6,68,500
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	18820.86	6,69,135	9264.66	6,69,409
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन येाजना	7323.32	2,11,574	3770.64	2,14,041
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन येाजना	1198.39	33,446	582.50	33,476
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	2042.69	9,854	742.70	3,410

16.2 दिव्यांग कल्याण की योजनाएं

16.2.1 स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान :— दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधान अनुसार प्रदेश में निःशक्तजनों के शिक्षण—प्रशिक्षण तथा समग्र पुनर्वास में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा स्वैच्छिक

संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर उनके द्वारा आवेदन करने पर पात्रता/नियमानुसार सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है। जिसके अन्तर्गत अस्थि बाधितों हेतु रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, जगदलपुर एवं जशपुर में विशेष विद्यालय, मंद बुद्धि बच्चों के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर–चांपा, जगदलपुर, व बिलासपुर में तथा श्रवण बाधितों के लिए रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर–चांपा, सरगुजा, कोरबा एवं रायगढ़ में विशेष विद्यालय स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित हैं।

16.2.2 दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति योजनाः– इस योजनांतर्गत प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालयीन अध्ययनरत् दिव्यांग विद्यार्थियों को पात्रता एवं कक्षा अनुसार रू. 150/– से 190/– प्रतिमाह तक छात्रवृत्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा दृष्टि बाधित छात्रों को रू. 100/– प्रतिमाह वाचक भत्ता प्रदान किया जाता है।

16.2.3 कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को कैलीपर्स, ट्रायसायकल, मोटराईज्ड ट्रायसायकल, व्हीलचेयर, इलेक्ट्रनिक व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, डिजिटल श्रवण यंत्र, श्वेत छड़ी व ब्रेल किट आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। इस योजना अन्तर्गत दिव्यांगजनों को संसाधन सेवायें उनकी आय सीमा रू. 20,000 मासिक तक निःशुल्क तथा रू. 20,000 से अधिक है तो कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण का 50% छूट के साथ संसाधन सेवाऐं उपलब्ध कराई जाती है।

16.2.4 सामर्थ्य विकास योजना :–प्रदेश के दिव्यांग हितग्राहियों को उपयुक्त, टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से तैयार आधुनिक एवं मानकीकृत सहायक यंत्र एवं उपकरण प्रदाय करने की दृष्टि से "सामर्थ्य विकास योजना" आरंभ की गई है। सामर्थ्य विकास योजना अन्तर्गत दिव्यांगजनों हेतु मेले/शिविर का आयोजन कर कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्रदाय किये जाते है।

16.2.5 निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना :– दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हे स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 18 से 45 वर्ष की दिव्यांग महिला तथा 21 से 45 वर्ष के दिव्यांग पुरूष जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता हो, को विवाह उपरांत जोड़े में एक व्यक्ति के दिव्यांग होने पर राशि रूपये 50,000/– तथा दोनों (वर–वधू) के दिव्यांग होने पर राशि रूपये 1,00,000/– की सहायता राशि दी जाती है।

16.2.6 दिव्यांग व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाएं :—विभाग द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में आवासीय संस्थाएं संचालित हैं। जिसमें निःशक्त बच्चों को निःशुल्क छात्रावास, शिक्षण—प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र एवं आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में 19 शासकीय संस्थाएं तथा 1 दिव्यांग महाविद्यालय संचालित हैं।

निःशक्तजनों के लिए ''क्षितिज अपार संभावनाएं ''अन्तर्गत एकीकृत योजना—

प्रदेश में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए **''क्षितिज अपार संभावनाएं''** नाम से 03 एकीकृत योजना प्रारंभ की गई है—

16.2.7.1 निःशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना— निःशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना —

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत 18 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने का प्रावधान है। सामान्यतः आर्थिक अभाव एवं दिव्यांगता के कारण मेधावी दिव्यांग बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, जिन्हें संबल प्रदान करने के लिए माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों एवं तकनीकी तथा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् नियमित दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

दिये जाने वाले लाभ :—

- जिले में माध्यमिक परीक्षा (दसवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले दिव्यांग छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 2,000/— एकमुश्त।
- जिले में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (बारहवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले दिव्यांग छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 5,000/— एकमुश्त।
- आई. टी. आई./पोलिटेक्निक/स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला , वाणिज्य एवं विज्ञान) पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को राशि 6,000/—रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।

- चिकित्सा / तकनीकी / व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थियों को राशि 12,000 / – रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में उच्च शिक्षा हेतु 396 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किया गया है।

16.2.7.2 निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना–

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांग मेधावी व्यक्तियों को सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है। इससे अन्य दिव्यांग व्यक्ति प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित होंगे तथा आगामी तैयारी हेतु आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

दिये जाने वाले लाभ :–

- प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रूपये 20,000 / – एकमुश्त।
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रूपये 30,000 / – एकमुश्त।
- संघ / छत्तीसगढ़ लोक सेवा में चयन होने पर राशि रूपये 50,000 / – एकमुश्त।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में 13 दिव्यांग प्रतिभागियों को सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने हेतु प्रोत्साहन राशि की स्वीकृत दी गई है।

16.2.7.3 निःशक्त विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना– दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित, उन्हें संबल प्रदान करने एवं उनके अधिकारों का संरक्षण हेतु 5 दिव्यांग विद्यार्थियों के समूह को किराये के भवन में निःशुल्क आवास सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। योजना से राज्य के दिव्यांग विद्यार्थियों का समूह देश के अन्य राज्यों में भी अध्ययन करने हेतु छात्रगृह का लाभ ले सकेंगे।

दिये जाने वाले लाभ :–

05 बच्चों के समूह को रेन्ट कन्ट्रोल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित किराए की सीमा में रहने की निःशुल्क सुविधा। भवन का अधिकतम मासिक किराया राशि विद्युत एवं अन्य व्यय सहित निम्नानुसार श्रेणी के शहरों के लिए निर्धारित किया गया है –

1. A श्रेणी के शहर हेतु 10,000/– (दस हजार) तक देय होगी।
2. B श्रेणी के शहर हेतु 7,000/– (सात हजार) तक देय होगी।
3. C श्रेणी के शहर हेतु 5,000/– (पांच हजार) तक देय होगी।

योजना अन्तर्गत 1 निःशक्त बच्चों के समूह को सुविधा प्रदान की जा रही है।

सारणी 2. दिव्यांग कल्याण की योजनाओं की प्रगति

योजना	2022-23		2023-24 सित. की स्थिति में	
	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)
स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान	745.20	3026	34.20	293
निःशक्तजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना	200.18	10653	8.60	722
कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना	80.22	4976	26.14	857
सामर्थ्य विकास योजना	270.11	7286	91.94	1254
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	339.00	524	80.00	122
निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाए	1737.05	1246	864.02	1366

16.3 समाज रक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित योजनाएं

16.3.1 वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम :– वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण एवं सम्मान हेतु प्रत्येक वर्ष जनपद पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक ''अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस'' के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता हैं तथा निराश्रित वृद्धजनों के लिए प्रदेश में 32 वृद्धाश्रम संचालित है। जहॉ 850 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं।

60 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो वृद्धावस्था के कारण गंभीर बीमारी एवं बिस्तर पर रहकर अपनी सम्पूर्ण दिनचर्या, क्रियाकलाप का निर्वहन करने हेतु बाध्य हैं उनकी समुचित देखरेख एवं चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 06

प्रशामक देखरेख गृह जिला रायपुर, बिलासपुर दुर्ग, कबीरधाम, रायगढ़ एवं बालोद में संचालित है।

16.3.2 तीरथ बरत योजना :—योजना को दिनांक 04 दिसम्बर 2012 से प्रभावशील किया गया है। इस योजना अन्तर्गत छत्तीसगढ़ के निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवनकाल में एक बार, प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नामनिर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा शासकीय सहायता से करायी जाती है। योजना अन्तर्गत निःशक्तजनों को भी तीर्थयात्रा योजना में शामिल कर उनके लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जाती है।

16.3.3 उभय लिंगी के व्यक्तियों के लिए कल्याणार्थ कार्यक्रम/योजना :— उभय लिंगी (तृतीय लिंग) के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास तथा उनके कौशल उन्नयन हेतु विभाग द्वारा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

16.3.4 वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण प्रदाय योजना :—

60 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे जीवन—यापन करने वाले वृद्ध/निराश्रित वृद्ध/वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था में होने वाली समस्या के निराकरण हेतु उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण, चिकित्सीय देखभाल की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण प्रदाय योजना प्रारंभ की गयी है। वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिए गए परामर्श अनुसार डायबिटिक शू, नी—स्पिलिन्ट, स्पिलिन्ट् (विभिन्न प्रकार के), ब्रेसेस (विभिन्न प्रकार के), कॉलर, वाकर, बैशाखी, छड़ी, व्हील चेयर, चश्मा, श्रवण यंत्र, डेन्चर एवं अन्य उपकरण चिकित्सक के परामर्श अनुसार एक या एक से अधिक सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

सारणी 3. समाज रक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति

योजना	2022-23		2023-24 सित. की स्थिति में	
	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम	341.27	22819	31.42	850
उभय लिंगी के व्यक्तियों के लिए कल्याणार्थ कार्यक्रम/योजना	27.84	3058	0.41	3060
प्रशामक देखरेख गृह	58.24	64	0	95

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

16.4.1 विशिष्ट संस्थाएं:–

राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा छात्रावास प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1667 प्री.मैट्रिक, पिछडा वर्ग के 08 प्री.मैट्रिक एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के 408 पोस्ट मैट्रिक तथा पिछडा वर्ग के 48 संचालित है एवं अनुसूचित जाति के लिए 51 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1124 आश्रम शालाएं संचालित है। प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर के आश्रम के लिए शालायें संचालित है। विभाग द्वारा 06 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 14 कन्या शिक्षा परिसर, 01 गुरूकुल (आदर्श) विद्यालय, 74 एकलब्य आवासीय विद्यालय, 14 बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, 01 आस्था गुरूकुल विद्यालय एवं 19 क्रीडा परिसर संचालित है।

16.4.2 जवाहर उत्कर्ष मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदाय करने की योजना :–

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने एवं नये सोच के साथ नये कैरियर चयन का अवसर प्रदान के उद्देश्य से योजना संचालित है। योजना अंर्तगत प्रति वर्ष कक्षा 06 वीं के अनुसूचित जाति वर्ग के 70 तथा अनुसूचित जन जाति वर्ग के कक्षा 6 वी के 130 इस प्रकार दोनो वर्गो हेतु कुल 200 विधार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है ।

तालिका 16.4 जवाहर उत्कर्ष मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदाय करने की योजना

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाख में)
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक)	अनुसूचित जाति	–	–
	अनुसूचित जनजाति	–	–
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	अनुसूचित जाति	342	391.14
	अनुसूचित जनजाति	689	848.54
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	–	–
	अनुसूचित जनजाति	–	–

वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैः–

16.4.3 विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना :– नक्सल हिंसा से प्रभावित प्रदेश के जिलो में अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो कि विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के पद रिक्त रह जाते है क्योंकि इस वर्ग के विद्यार्थियों की सूची विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में कम है। अतः इन वर्ग के विद्याथियो को विज्ञान एवं वाणिज्य के विषय में अध्यापन को प्रोत्साहन करने हेतु संस्था दुर्गएवं जगदलपुर में 500–500 सीटर विज्ञान एवं वाणिज्य विषय पर केन्द्र स्थापित किया गया है। इस योजनान्तर्गत चयनित विद्यार्थियो जिन्होने स्नातक/स्नातकोत्तर शिक्षा विज्ञान एवं वाणिज्य विषयो के साथ जारी रखी गई हो। विज्ञान के पदो एवं आयोजित की जाने वाली प्री.बीएड, टीईटी परीक्षा हेतु आपरेटर एवं अध्यापक उपलब्ध कराया जावेगा।

वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैः–

तालिका 16.5 विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाख में)
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक)	अनुसूचित जनजाति	654	32.62
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	अनुसूचित जनजाति	674	154.54
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 की स्थिति में)	अनुसूचित जनजाति	632	66.64

16.4.4 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियॉ :– कक्षा 12वीं से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शासन द्वारा संचालित की जा रही है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अ0ज0जा0)

- **आय–सीमा– रू. 2.50 लाख तक वार्षिक आय,**
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरे दिनांक 01.07.2010 से निम्नानुसार लागू है :–

तालिका 16.6 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अ0ज0जा0)

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)	
	अनुसूचित जनजाति	
	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह–1– (i) डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम यथा–एम .फिल, पीएच.डी तथा औषधि में पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियां) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, कृषि, डिजाईन, फैशन टेक्नालॉजी, पशु– चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान। (ii) वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी–इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम (iii) प्रबंधन तथा औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./ आई.सी.एफ.ए. आदि पाठ्यक्रम (v) एम.फिल., पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान यथा– डी .लिट, डी.एस.सी. इत्यादि (vi) एल.एल.एम.	1200	550
समूह–2– (i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे– फार्मेसी (बी .फार्मा), नर्सिग (बी.नर्सिंग), एल.एल.बी., बी. एफ.एस. अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे– रिहायबिलिटेशन, डायगनोस्टिक इत्यादि, होटल प्रंबधन, मॉस कम्यूनिकेशन, ट्रवेल/टूरिज्म/ हॉस्पिटायलिटी प्रबंधन, आंतरिक साज– सज्जा, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, कामर्सियल आर्ट, वित्तीय सेवाएं जैसे– बैंकिंग, इन्शयूरेन्श इत्यादि जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 12 स्तर के हो। (ii) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह–1 में शामिल न हो जैसे– एम .ए., एम. एस.सी., एम.कॉम, एम.एड इत्यादि	820	530
समूह–3– स्नातक स्तरीय अन्य डिग्री पाठ्यक्रम (जो समूह–1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं) जैसे– बी.ए., बी.एस.सी.,बी.कॉम.,बी.एड इत्यादि	570	300
समूह –4 – सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो। आई टी आई पाठ्यक्रम, त्रिवषीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम	380	230

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अनुसूचित जाति)

- **आय–सीमा– रू. 2.50 लाख तक वार्षिक आय,**
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरें दिनांक 2020–21 से वर्ष 2024–25 निम्नानुसार लागू है :–

तालिका 16.7 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अनुसूचित जाति)

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)	
	अनुसूचित जाति	
	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह –1– डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम	13500	7000
समूह –2– डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट से संबंधित अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम	9500	6500
समूह –3– स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरीय अन्य डिग्री पाठ्यक्रम (जो समूह–1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं)	6000	3000
समूह –4– सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेष परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो।	4000	2500

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य भाासन की दर (पिछड़ा वर्ग)

- आय–सीमा– रू. 1,00,000/– तक वार्षिक
- वर्तमान में उक्त छात्रवृत्ति राज्य आयोजना से दी जा रही है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैः–

तालिका 16.8 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य शासन की दर (पिछड़ा वर्ग)					
समूह	छात्रवृत्ति की दरें (माहवार रूपये)				
	अध्ययन का वर्ष	छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
अ – मेडिकल तथा इंजीनियरिंग	प्रथम वर्ष	210	220	100	100
	द्वितीय वर्ष	210	225	100	115
बी.व्ही.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष	185	200	100	115
आ– डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस	प्रथम वर्ष	130	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	135	100	110
इ– सर्टीफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कामर्स	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
ई– सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
	द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
स– कक्षा – 11 वीं	प्रथम वर्ष	110	110	50	60
कक्षा – 12 वीं	प्रथम वर्ष	110	110	55	70

वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैः–

तालिका 16.9 छात्रवृत्ति वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाख में)
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022)	अनुसूचित जाति	–	
	अनुसूचित जनजाति	–	
	पिछड़ा वर्ग	–	
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	अनुसूचित जाति	66429	5957.23
	अनुसूचित जनजाति	89299	7519.20
	पिछड़ा वर्ग	177238	11982.41
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023)	अनुसूचित जाति	ऑन–लाईन पो.मै.छा. की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
	अनुसूचित जनजाति		
	पिछड़ा वर्ग		

16.4.5 छात्रावास :– अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अच्छे परिवेश की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में इन वर्गो के लिए छात्रावास संचालित किये जा रहे है, बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक छात्रावास संचालित है,इन छात्रावासों में छात्र–छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास, भोजन, बिजली, पानी, पलंग,

बिस्तर, पुस्तकें एवं समाचार पत्र आदि उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1636 प्री.मैट्रिक, पिछडा वर्ग के 08 प्री मैट्रिक एवं अनुसूचि जनजाति के 396 पोस्ट मैट्रिक तथा पिछडा वर्ग के 29 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास संचालित है। प्री. मैट्रिक छात्रावास में प्रवेशित विद्यार्थियों को 10 माह, 15 दिवस के लिए शिष्यवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022से मार्च 2023 तक एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैः–

तालिका 16.10 छात्रावास योजना भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक)	अनुसूचित जाति	13360	912.52
	अनुसूचित जनजाति	61584	3662.62
	पिछड़ा वर्ग	378	22.00
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	अनुसूचित जाति	13360	912.52
	अनुसूचित जनजाति	61584	3662.62
	पिछड़ा वर्ग	378	22.00
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	16467	658.53
	अनुसूचित जनजाति	66599	4123.29
	पिछड़ा वर्ग	400	13.00

16.4.6 आश्रम शाला योजना :– प्रदेश में वनॉचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहॉ शैक्षणिक सुविधा नहीं है ऐसे स्थानो में आश्रम शाला योजना की व्यवस्था की जाती हे। इन आश्रमों में कक्षा पहली से कक्षा 8वीं तक की कक्षाऐं चलाई जाती है, इन आश्रमों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ–साथ आवास एवं भोजन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 51 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1175 आश्रम शालाऍ संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैः–

तालिका क. 16.11 आश्रम शाला योजना			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाख में)
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2023 तक)	अनुसूचित जाति	2588	206.53
	अनुसूचित जनजाति	72312	4409.24
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	अनुसूचित जाति	2588	206.53
	अनुसूचित जनजाति	72312	4409.24
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	3780	147.29
	अनुसूचित जनजाति	80418	3334.49

16.4.7 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों छात्रों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जानाः–खाघान्न सुरक्षा योजना अधिनियम 2012 के अंर्तगत विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रम के साथ–साथ शासकीय अनुदान प्राप्त छात्रावास/आश्रमों में तथा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विभाग द्वारा संचालित निजी छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को रियायती दर पर प्रदान करने हेतु योजना संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022से मार्च 2023 तक एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैः–

तालिका क. 16.12 खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्धता की प्रगति			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू.में)
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2023 तक)	अनुसूचित जाति	15948	180.00
	अनुसूचित जनजाति	133896	960.00
	पिछड़ा वर्ग	378	9.00
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	अनुसूचित जाति	15948	405.00
	अनुसूचित जनजाति	133896	2160.00
	पिछड़ा वर्ग	378	20.25
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	20247	120.00
	अनुसूचित जनजाति	147017	960.00
	पिछड़ा वर्ग	400	1170.00

16.4.8 विशेष कोचिंग केन्द्र योजना :– विशेष कोचिंग के अंतर्गत दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रो में कठिन विषयों के शिक्षको का अभाव बना रहता है जिसके कारण छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को कठिन विषयों में कमजोर रह जाते है फलस्वरूप परीक्षा परिणाम अपेक्षित स्तर पर कमी रहता है। इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रावास/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एवं विशेषाक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे–गणित/विज्ञान/वाणिज्य जैसे विशयों में गुणात्मक सुधार के लिए प्रयास किया जाता है। उक्त योजना कियान्वयन माह नवम्बर, दिसम्बर एवं जनवरी में किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ निम्नानुसार है:–

तालिका 16.13 विशेष कोचिंग केन्द्र योजना प्रगति (राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाखों में)
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक)	अनुसूचित जाति	–	0
	अनुसूचित जनजाति	–	0
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	अनुसूचित जाति	3267	55.00-
	अनुसूचित जनजाति	21500	143
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	–	33
	अनुसूचित जनजाति	–	85.8

16.4.9 छात्र भोजन सहाय योजना :–

पोस्ट मैट्रिक छात्रावासी विद्यार्थियो के बढते उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए छात्र भोजन सहाय वर्ष 2005–06 से प्रारम्भ की गई है। जिसके अंतर्गत वर्ष 2023–24 से विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा पिछडे वर्ग विद्यार्थियो को भोजन सहाय हेतु प्रति छात्र प्रति माह राशि रूपये 1200/– की दर से उपलब्ध कराई जाती है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022से मार्च 2023 तक एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैः–

तालिका 16.14 छात्र भोजन सहाय योजना प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाखों में)
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक)	अनुसूचित जाति	4920	191.1
	अनुसूचित जनजाति	18224	650.8
	पिछड़ा वर्ग	1111	54.25
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	अनुसूचित जाति	4920	346.85
	अनुसूचित जनजाति	18224	1282.26
	पिछड़ा वर्ग	1111	73
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	5410	331.03
	अनुसूचित जनजाति	18645	1131.39
	पिछड़ा वर्ग	1550	178.02

16.4.10 व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाः–

16.4.10.1 नर्सिग प्रशिक्षण योजना :– यह योजना वर्ष 2009–10 से प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के 155 तथा अनुसूचित जनजाति के 245 इस प्रकार कुल 400 विद्यार्थियों को नर्सिग पाठयक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा दिये जाने का लक्ष्य है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022से मार्च 2023 तक एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैः–

तालिका 16.15 नर्सिग प्रशिक्षण योजना प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक)	अनुसूचित जाति	-	-
	अनुसूचित जनजाति	-	-
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	अनुसूचित जाति	329	234.63
	अनुसूचित जनजाति	480	276.95
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	-	-
	अनुसूचित जनजाति	-	-

16.4.10.2 हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेन्ट योजना :– राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को एअर हॉस्टेज, एविएशन हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेंजमेंट डिप्लोमा का प्रशिक्षण योजना वर्ष 2006–07 से आरम्भ की गई है। वर्ष 2013–14 में योजना में संशोधन किया गया जिसके तहत हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेंजमेंट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह योजना वर्ष 2006–07 से आरम्भ की गई है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022से मार्च 2023 तक एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैः

तालिका 16.16 हास्पिटलिटी एवं होटल मैनेजमेन्ट योजना प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक)	अनुसूचित जाति	-	-
	अनुसूचित जनजाति	-	-
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	अनुसूचित जाति	76	69.92
	अनुसूचित जनजाति	24	11.04
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	-	-
	अनुसूचित जनजाति	-	-

16.4.10.3 निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना :– इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कक्षा 8वीं उत्तीर्ण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को हल्के वाहन चालक का प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008–09 से योजना लागू की गई है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022से मार्च 2023 तक एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैः–

तालिका क. 16.17 निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना की प्रगति			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक)	अनुसूचित जाति	-	-
	अनुसूचित जनजाति	-	-
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	अनुसूचित जाति	-	-
	अनुसूचित जनजाति	-	-
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	-	-
	अनुसूचित जनजाति	-	-

6.4.11 रविदास चर्म शिल्प योजना :– प्रदेश में चर्म सिलाई के व्यवसाय में लगे लोगो के वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2008–09 में रविदास चर्मशिल्प योजना प्रारम्भ की गई है। इसके तहत अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मोची पेटी औजार सहित निःशुल्क प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022से मार्च 2023 तक एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैः–

तालिका 16.18 रविदास चर्म शिल्प योजना प्रगति			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक)	अनुसूचित जाति	-	-
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	अनुसूचित जाति	286	28.77
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	-	-

16.4.12 आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास :–वर्ष 2015–16 से आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत निम्नालिखित योजना संचालित है :–

- आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों की पूजा एवं श्रद्धा स्थलों(देवगुडी) के निर्माण एवं मरम्मत हेतु वर्ष 2006–07 से योजना संचालित है। योजनान्तर्गत प्रति देवगुडी मरम्मत/निर्माण हेतु राशि 1,00000/– दिया जाता है। वर्ष 2022–23 से अधिक राशियॉ 5.00 लाख पूर्ति देवगुडी स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

- आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत आदिवासियों के सांस्कृतिक दलो को वाद्ययंत्र खरीदने हेतु अनुदान स्वरूप प्रतिदल रू. 10000 दिये जाने का प्रावधान है।

तालिका 16.19 आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास

(राशि लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक)	1. देवगुड़ी मरम्मत/निर्माण	-	-
	2. आदिवासी लोककला दलो को सहायता	-	-
	3. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव	-	-
	4. शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार/डॉ भंवरसिंह पोर्ते पुरस्कार	-	-
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	1. देवगुड़ी मरम्मत/निर्माण	1132	3123.33
	2. आदिवासी लोककला दलो को सहायता	590	59.00
	3. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव	310	162.39
	4. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव/डॉ भंवरसिंह पोर्ते पुरस्कार	2	5
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 की स्थिति में)	1. देवगुड़ी मरम्मत/निर्माण	-	-
	2. आदिवासी लोककला दलो को सहायता	-	-
	3. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव	-	-
	4. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव/डॉ भंवरसिंह पोर्ते पुरस्कार	-	-

- शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव– शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान जिला–बालौदाबाजार में किया जाता है। इसके अंतर्गत आदिवासियों की लोकनृत्य प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता में सम्मिलत आदिवासी लोक कला दल को प्रथम पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार राशि रू. 0.50 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि रू. 0.25 लाख दिया जाता है। उपर्युक्त महोत्सव का उद्देश्य शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत चीर विस्मरणीय बनाना एवं आदिवासी लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना।

- शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार–छ0ग0 राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को 2,00000/– पुरस्कृत तथा प्रशास्ति पत्र प्रदाय किया जाता है।
- स्व. डॉ भंवरसिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार–छ0ग0 राज्य में आदिवासियों की सेवा करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी 01 संस्था को सम्मनित कर प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार राशि रू. 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्यक वर्ष दिया जाता है।

16.4.13 सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना :– अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियो को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा मे सफल होने पर मुख्य परीक्षा तैयारी हेतु राशि रू. 1.00 लाख प्रदान जाती है। यह योजना वर्ष 2010–11 से प्रारंभ की गई हैं । वर्ष 2023–24 में इस योजना हेतु कुल राशि रू. 23.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022से मार्च 2023 तक एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैः–

तालिका क. 16.20 सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाखों में)
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक)	अनुसूचित जाति	-	-
	अनुसूचित जनजाति	-	-
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	अनुसूचित जाति	-	-
	अनुसूचित जनजाति	1	1
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	1	1
	अनुसूचित जनजाति	2	2

16.4.14 राजीव युवा उत्थान योजना :– पूर्व में यह योजना युवा कैरियर निर्माण योजना के नाम से संचालित था। इस योजना के अंतर्गत ट्रायबल यूथ हास्टल, द्वारका नई दिल्ली में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 50 सीट स्वीकृत है। छ0ग0 राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 100 सीटे स्वीकृत है, जिसमें 50 सीटे जिला रायपुर एवं 50 सीटे जिला दुर्ग में प्रशिक्षण संचालित है। इसके अतिरिक्त बैकिंग, रेलवे, व्यापम, एस.एस.सी. तथा व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर एवं कबीरधाम में 100–100 सीटस स्वीकृत है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022से मार्च 2023 तक एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैः–

तालिका क. 16.21 राजीव युवा उत्थान योजना (राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक) 2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	अनुसूचित जाति	100	18.72
	अनुसूचित जनजाति	350	170.00
	पिछड़ा वर्ग	100	17.72
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	100	42.30
	अनुसूचित जनजाति	350	387.12
	पिछड़ा वर्ग	100	39.12
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	100	18.72
	अनुसूचित जनजाति	450	173.80
	पिछड़ा वर्ग	100	17.72

16.4.15 मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना :– अनुसूचित क्षेत्र, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना कियान्वित की जा रही है। यह योजना वर्ष 2010 में प्रारम्भ की गई है। **इस योजना के 04 घटक हैः–**

- **आस्थाः–** नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चो के लिए दंतेवाडा जिला मुख्यालय में आस्था गुरूकुल विद्यालय संचालित है। इस विद्यालय में कक्षा 1 ली से 12वीं तक पूरे वर्ष भर निःशुल्क शिक्षा, भोजन, मनोरंजन, खेल एवं आवास आदि की सुविधा

प्रदान की जाती है। वर्ष 2007 में जब यह योजना प्रारम्भ की गई थी तब 84 विद्यार्थी थे। वर्ष 2023–24 में 99 बालक, 97 कन्या कुल 196 विद्यार्थी अध्ययनरत है।

- **निष्ठाः**– इसके तहत पीडित परिवारो के लिए कक्षा 1ली से 12वीं के विद्यार्थियों को राजनांदगांव जिले के निजी शालाओं में अध्ययन कराया जाता था। वर्ष 2020–21 से यह योजना बंद कर दी गई है, जिसके फलस्वरूप नये विद्यार्थियों को प्रवेश नही दिया जा रहा है।

- **प्रयासः**–छत्तीसगढ राज्य के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र सहित गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नक्सल प्रभावित (LWE) जिलो के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विद्यार्थियो को कक्षा 9वीं से 12वी तक शालेय शिक्षा के साथ–साथ इंजीनियरिग, मेडिकल, राष्ट्रीय प्रतिभा (NTSE), CA,CS,CMA तथा CLAT इत्यादि प्रवेश परीक्षाओ की कोंचिग प्रदान कर इन विद्यार्थियों की स्वयं की प्रतिभा के बल पर सफल होने योग्य बनने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में जिला रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, कांकेर, कोरबा, जशपुर तथा बालोद जिला मुख्यालय में कुल 14 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। इन विद्यालय से वर्तमान में 4663 विद्यार्थियो लाभान्वित हो रहे है।

- **सहयोगः**– इस योजना अंतर्गत 12वी उत्तीर्ण विद्यार्थियो को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान की जाती है। उक्त योजना संचालित वर्तमान में दंतेवाडा मुख्यायल योजना सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022से मार्च 2023 तक एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैः–

तालिका क्र. 16.21 (अ) मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाखों में)
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक)	अनुसूचित जाति	4429	494.41
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	अनुसूचित जाति	4429	2882.22
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	4859	1145.95

- **16.4.16 विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी उपयोजनाः–**

16.4.16.1 विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम :– भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा SCA to TSS के संबंध में नवीन दिशा–निर्देश जारी किये गये है। नवीन दिशा–निर्देशो के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विद्यमान आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता योजना को परिवर्तित कर जनजातीय बाहुल्य ग्रामों के एकीकृत विकास की योजना प्रारम्भ किया गया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य चरणबद्ध ढंग से ऐसे आदिवासी ग्रामों में विभिन्न क्षेत्रों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मूलभूत सुविधाएं, मकान, आयमूलक योजनाएं एवं अधोसंरचना इत्यादि में केन्द्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध स्रोतो के समुचित अभिसरण (कनवर्जेन्स) विशेषकर ऐसी योजनाएं जहां आदिवासी उपयोजना हेतु फण्ड इयरमार्क है, के द्वारा ऐसे ग्रामों के रूप में विकसित किया जाना है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY) है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022से मार्च 2023 तक एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैः–

तालिका 16.22 विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं स्थानीय विकास कार्यक्रम (राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक)	अनुसूचित जनजाति	निरंक	निरंक
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	अनुसूचित जनजाति	45185	311148.35
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 की स्थिति में)	अनुसूचित जनजाति	15240	15552.80

16.4.16.2 आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार :– संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र अंतर्गत अंधोसरंचना/व्यक्ति मूलक परिवार मूलक कार्य पूंजी मद एवं राजस्व मद के अंतर्गत स्वीकृत किये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022से मार्च 2023 तक एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ निम्नानुसार है:–

तालिका क. 16.23 आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार (राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक)	अनुसूचित जनजाति	निरंक	निरंक
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	अनुसूचित जनजाति	782 कार्य	13578.43
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 की स्थिति में)	अनुसूचित जनजाति	निरंक	निरंक

16.4.16.3 पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरण:– पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरण अंतर्गत योजना क्रमांक 5475 अंतर्गत वर्ष 2022–23 की कार्ययोजना में स्वीकृत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के विद्यार्थियों हतु जूता, मोजा, एवं स्वेटर वितरण, आपातकालीन चिकित्सा (रिफरल) सहायता प्राप्त रोगियो/कुपोषित बच्चो/माताओं के लिए चिकित्सा तथा अन्य विपरीत परिस्थितियों में राहत सहायता एवं अन्य व्यय यथा अस्पताल आने जाने हेतु आवश्यकता अनुसार किराये की प्रतिपूर्ति आदि तथा पोषण स्वास्थ्य की सुविधा एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आदि (जिला कलेक्टर के विकल्प पर) डेडिकेटेड मोबाईल मेडिकल वैन, गर्भवती माताओ हेतु प्रतीक्षा कक्ष (Pre Birth waiting room) सब्जी बीज मिनी किट प्रदाय (बाडी में उपयोग हेतु) (वन अधिकार पत्रधारक हितग्राहियों को प्राथमिकता सहित) मसाला बीज मिनीकिट (बाडी में उपयोग हेतु) (वन अधिकार पत्रधारक हितग्राहियों को प्राथमिकता सहित) वर्मी कम्पोस्ट के वितरण के माध्यम से मिट्टी की उत्पादकता और फसल उत्पादन में सुधार करना (वन अधिकार पत्रधारक हितग्राहियों को प्राथमिकता सहित) पांरपरिक जनजातीय खेलों एवं स्पर्धाओ तथा परपंरागत नृत्य को प्रोत्साहन हेतु सहायता, जनजातीय कला एवं संस्कृति के प्रोत्साहन हेतु चिन्हित विशेश रूप से कमजोर जनजाति समूहों के युवाओं एवं महिलाओं को पारंपरिक आभूशण, कलाकृतियों आदि निर्मित करने हेतु कौशल विकास सहित परंपरागत व्यवसाय का प्रशिक्षण एवं टूल किट प्रदाय, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप अन्य व्यवसायों यथा सिलाई, कढ़ाई,इलेक्ट्रिशियन आदि का प्रशिक्षण तथा टूल किट प्रदाय जैसी उपयोगी हितग्राही मूलक कार्य स्वीकृत किये गये है।

तालिका 16.24 पण्डो एवं भुंजिया विकास (राशि लाख में)			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक)	अनुसूचित जनजाति	08 कार्य	44.00
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	अनुसूचित जनजाति	17 कार्य	110.00
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 की स्थिति में)	अनुसूचित जनजाति	07 कार्य	44.00

तथा वर्ष 2022–23 में विशेष कमजोर जनजाति समूह के विद्यार्थियो हेतु जूता,मोजा एवं स्वेटर वितरण, PVTG के क्षेत्र के पोशण पुनर्वास केन्द्रो में भर्ती बच्चो के परिवारजनो (Faimly Attendants) हेतु भोजन व्यवस्था प्रावधान कार्यक्रम (NRC के Norms) के अतिरिक्त PVTG बस्तियो में चिकित्सासह स्वास्थ्य जॉच सुविधा एवं जागरूकता शिविर तथा शिविर में पोषण सहायता, आपातकालीन चिकित्सा (रिफरल) सहायता सहित रोगियो/कुपोशित बच्चो/माताओं के लिए चिकित्सा, अन्य विपरित परिस्थितियों एवं अन्य व्यय यथा अस्पताल आने जाने हेतु आवश्यकता अनुसार किराये की प्रतिपूर्ति आदि तथा पोशण, स्वास्थ्य की सुविधा एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आदि (जिला कलेक्टर के विकल्प पर) डेडिकेटेड मोबाईल मेडिकल वैन, वाहन चालक की मानदेय, हैण्डपंप की स्थापना, सैर सुजला योजना से सोलर पंप की स्थापना अंतर्गत हितग्राहियों को अंशदान, हस्तचलित स्प्रेयर पौधा संरक्षण औशधि छिडकाव, डीजल पंप का प्रदाय, वर्मी कम्पोस्ट के वितरण के माध्यम से मिट्टी की उत्पादकता और फसल उत्पादनमें सुधार करना, सब्जी बीज मिनी किट का वितरण, मसाला बीज मिनीकिट प्रदाय, बकरी ईकाई का वितरण, सूकर पालन, मत्स्य बीज संचयन, परंपरागत आदिवासी खेलो के लिए वित्तीय सहायता (खेलो को प्रोत्साहन हेतु) से संबंधित योजनाएं संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022से मार्च 2023 तक एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैः–

16.4.16.4 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना :– भारत सरकार अल्वसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित योजना है। केन्द्र प्रवर्तित योजना अंर्तगत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामो के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु वर्ष 2015–16

में प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की गई है। उक्त योजनान्तर्गत छ0ग0 राज्य में प्रथम चरण में जिला बेमेतरा के – 30 ग्राम, बलौदाबाजार के – 40 ग्राम, जांजगीर के – 30 ग्राम एवं बिलासपुर के – 35 ग्राम इस प्रकार कुल 175 ग्रामों का चयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के द्वितीय चरण में आज दिनांक तक कुल 909 ग्रामों का चयन किया गया। उक्त चयनित ग्रामो में अनुसूचित जाति के परिवारों की मूलभूत आवश्यकता यथा–आवास, पेयजल, विद्युत विस्तार, स्वास्थ्य एवं सामाजिक एवं आर्थिक विकास इत्यादि तथा चयनित ग्रामों में आवश्यक अधोसंरचना के संबंध में ग्रामवार फोर लाईन सर्वेक्षण कर डेव्लापमेन्ट प्लान तैयार किया जाता है। 12वी पंचवर्षीय योजना के अवधि में सेक्टर चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में संतुलन को कम करने एवं इस समुदाय के सदस्यो का बुनियादी सुविधाऐ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई योजना में केन्द्रीय 50 प्रतिशत और राज्यांश 50 प्रतिशत है ।

वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ निम्नानुसार है:–

तालिका 16.25 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022)	अनुसूचित जाति	315 ग्राम	8190.00
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	अनुसूचित जाति	315 ग्राम	8190.00
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023)	अनुसूचित जाति	–	-

16.4.16.5 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) :–भारत सरकार अल्वसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित योजना है। अल्संख्यक समुदाय के शैक्षाणिक एवं समग्र विकास के लिए ''मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम'' (संशोधित योजना का नाम–प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) को जशपुर जिले में लागू कये गये है। इस योजना के अंतर्गत जशपुर जिले क 05 विकास खण्ड (जशपुर, मनोरा, दुलदला, कुनकुरी एवं कासांबेल) को अल्पसंख्यक विकास खण्ड के रूप में चयनित किया गया है।

इस प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, सडक, पेयजल और आय के अनेक अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022से मार्च 2023 तक एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ निम्नानुसार है:–

तालिका 16.26 मल्टी सेक्टर डेवल्पमेंट प्रोग्राम

(राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022)	अल्प संख्यक वर्ग	03 कार्य	18.31
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	अल्प संख्यक वर्ग	07 कार्य	102.31
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023)	अल्प संख्यक वर्ग	01 कार्य	41.12

16.4.17 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं:–

- **अनुसूचित जाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता** :– स्वर्ण जाति के द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति किये गये अत्याचारों के फलस्वरूप हुई हानि की पूर्ति तथा अधिनियम के अधीन सुसंगत नियमों के अन्तर्गत जरूरतमंद अनुसूचित जाति तथा जनजाति के परिवारों को तुरन्त राहत देने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता दी जाती है।

- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगो को अत्याचार से पीडित व्यक्ति को अधिनियम धारा के तहत राहत सहायता एंव पुर्नवास दिया जाता है। अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन जिलों में अस्पृश्यता निवारण शिविरों का आयोजन किया जाता है। अनुसूचित जातियों के विकास एवं कल्याण तथा उनके प्रति अस्पृश्यता के कलंक मिटाने हेतु जिला एवं ब्लाक पर सद्भावना शिविरों का आयोजना किया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसी रूढियों और व्यक्तियों के विरूद्ध स्वच्छ, निर्मल एवं सामाजिक वातावरण बनाने की पहल है। अर्न्तजातीय विवाह योजना का मूल उद्देश्य अस्पृश्यता उन्मूलन की दशा को प्रोत्साहित किया जाना है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है:–

तालिका 16.27 अनुसूचित जाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता			(राशि लाख में)
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाखों में)
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक)	अनुसूचित जाति	671	1055.7
	अनुसूचित जनजाति	730	547.73
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	अनुसूचित जाति	1342	2111.4
	अनुसूचित जनजाति	1459	1095.5
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	665	1012.55
	अनुसूचित जनजाति	240	251.83

16.4.18 केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं

16.4.18.1 आदिवासी विशेष पिछड़े समूहः– योजनान्तर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजाति निवासरत क्षेत्रो में वर्ष 2022–23 में Construction of Anganwadi Centers, Construction of House for PVTGs से संबंधित कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये है। जिसका उद्देश्य विशेष पिछडी जनजाति निवासरत क्षेत्रो में अधोसंरचना विकास के साथ उनके लिए स्वास्थ्य, पोषण चिकित्सा सुविधा क उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा कच्चे व जीर्ण–शीर्ष आवास में रहने वाले एवं आवासहीन परिवारो को बुनियादी सुविधायुक्त एक पांरपरिक पक्का आवास उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये पीव्हीटीजी स्कीम अंतर्गत राशि रू. 6389.341 लाख की कार्ययोजना प्रस्ताव भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली की ओर स्वीकृति हेतु प्रेशित किया गया है जिस पर स्वीकृति अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 अप्रैल 2022से मार्च 2023 तक एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैः–

तालिका 16.28 आदिवासी विशेष पिछड़े समूह			(राशि लाख में)
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ
2022–23 (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक)	अनु. जनजाति	-	-
2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)	अनु. जनजाति	-	-
2023–24 (अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 की स्थिति में)	अनु. जनजाति	03 कार्य	1497.07I

16.5 छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल

प्रसाद योजना – भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय की ''प्रसाद योजना'' के अंतर्गत ''माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़ का विकास'' परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारत सरकार से इस परियोजना के लिये राशि रु. 43.33 करोड़ स्वीकृत कराये गये है। इस परियोजना के अंतर्गत डोंगरगढ़ में माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी पहाड़ी एवं पिल्ग्रिम फेसीलिटेशन सेंटर का विकास किया जा रहा है। इस परियोजना में अभी तक 66% कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं रु. 21.99 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है।

तालिका क्र. 16.29 विभिन्न कार्यान्वित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी (राशि लाख रू. में)

स.क्र.	प्रस्तावित कार्य	(अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022)		(अप्रैल 2022 से मार्च 2023)		(अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023)	
		भौतिक	वित्तीय (रू. लाख में)	भौतिक	वित्तीय (रू. लाख में)	भौतिक	वित्तीय (रू. लाख में)
1	प्रसाद योजना के अंतर्गत डोंगरगढ़ केंद्रीय परियोजना का क्रियान्वयन।	कार्य प्रगति पर	558.53	कार्य प्रगति पर	580.00	कार्य प्रगति पर	310.89
2	चित्रकोट जलप्रपात जिला बस्तर में लाईट एण्ड साउंड शो की स्थापना।(मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	कार्य प्रगति पर	199.58	कार्य प्रगति पर	–	कार्य पूर्णता की ओर है।	–
3	खूंटाघाट जलाशय जिला बिलासपुर में आईलैण्ड (टापू) पर ग्लास हाऊस (रेस्टॉरेन्ट) का निर्माण।	–	–	कार्य स्वीकृत एवं कार्य अप्रारंभ	10.00	कार्य अप्रारंभ	–
4	लुतरा शरीफ दरगाह जिला बिलासपुर में प्रवेश द्वार निर्माण कार्य विषयक।	कार्य प्रगति पर	–	कार्य पूर्ण।	–	–	–
5	ग्राम जबर्रा जिला धमतरी में होमेस्टे, कैपिंग उपकरण एवं सौर प्लांट की स्थापना (प्रथम चरण) (मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	कार्य प्रगति पर	–	कार्य प्रगति पर	–	कार्य पूर्णता की ओर है।	–
6	ग्राम जेमरा चैतुरगढ़ मेला स्थल एवं महामाया मंदिर ग्राम लाफा लाफागढ़ जिला कोरबा में शेड निर्माणं (विधानसभा आश्वासन क्र . 450/2018)	कार्य प्रगति पर	–	कार्य प्रगति पर	–	प्रगति अप्राप्त	–
7	ग्राम जबर्रा जिला धमतरी में 4 KW क्षमता वाले 01 नग सोलर प्लांट की स्थापना सह गली सौर विद्युतीकरण कार्य एवं चार होमस्टे भवनों में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण (द्वितीय चरण) (मान . मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	कार्य प्रारंभ किया जाना है।	15.095	कार्य प्रगति पर है।	–	कार्य प्रगति पर	–
8	दामाखेड़ा स्थित कबीर सागर तालाब जिला बलौदाबाजार का विकास/सौंदर्यीकरण।	कार्य प्रारंभ किया जाना है।	100.00	कार्य प्रारंभ किया जाना है।	–	कार्य प्रगति पर	940.00
9	सोनाखान जिला बलौदाबाजार में सामुदायिक भवन का निर्माण। (मान . मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	कार्य प्रारंभ किया जाना है।	25.00	निविदा कार्य प्रक्रिया में है।	–	प्रगति अप्राप्त	–

10	रकसगंडा जिला सूरजपुर में हाई मास्ट लाईट, सेफ्टी रेलिंग, शेड निर्माण, चबुतरा (3 नग), साईनेजेस, सी .सी. रोड, हैंड पम्प (प्लेट फार्म सहित) निर्माण कार्य। (मान . मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	कार्य स्वीकृत	10.75	प्रगति अप्राप्त	–	कार्य प्रगति पर	–
11	रमदहा जलप्रपात जिला कोरिया में रिटर्निंगवाल का निर्माण, रेलिंग कार्य, सीढ़ी निर्माण एवं रेस्टिंग गैलरी शेड निर्माण। (मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	कार्य स्वीकृत	25.00	कार्य प्रक्रियाधीन है।	–	संशोधित स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।	–
12	तामड़ा घूमर/मेन्द्री घूमर जिला बस्तर में विभिन्न सुविधाओं का विकास तामड़ाघूमर (मारडूम) में साईनेजएवं सीटिंग व्यवस्था का विकास।मेन्द्रीघूमर (मटनार) में साईनेज, रेलिंग, पुरुष एवं महिला शौचालय एवं स्नानागार, पाथवे एवं सीटिंग व्यवस्था का विकास। (मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	कार्य स्वीकृत	11.45	कार्य प्रगति पर	–	कार्य प्रगति पर	–
13	जिला गौरेला–पेण्ड्रा– मरवाही अंतर्गत राजमेरगढ़ एवं उसके आस–पास क्षेत्र का पर्यटन विकास। (मान . मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	–	–	कार्य स्वीकृत	15.00	कार्य प्रगति पर	–
14	लुतरा शरीफ दरगाह जिला बिलासपुर में मुसाफिर खाना का निर्माण।	–	–	कार्य स्वीकृत	–	कार्य प्रारंभ किया जाना है।	30.00
15	प्रज्ञागिरी परिसर डोंगरगढ़ (जिला राजनादगांव) के नीचे स्टेज में शेड निर्माण।	–	–	कार्य स्वीकृत	15.00	कार्य प्रगति पर	–
16	जिला मुंगेली अंतर्गत स्थलों (सेतगंगा, खर्राघाट, देवगांव एवं चकरभाटा) में सामुदायिक भवन/धर्मशाला निर्माण।	–	–	–	–	कार्य प्रारंभ किया जाना है।	25.00
17	ऐतिहासिक कबीर मंदिर/आश्रम परिसर ग्राम पेण्ड्री जिला राजनादगांव में धर्मशाला निर्माण।	–	–	–	–	कार्य स्वीकृत एवं प्रगति पर है।	5.00
18	कुकुरदेव मंदिर ग्राम खपरी जिला बालोद का जीर्णोद्धारण कार्य। (मान . मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	–	–	–	–	कार्य स्वीकृत	2.16
19	सियादेवी को पर्यटन स्थल के रुप में विकसित करना। (मान . मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	–	–	–	–	कार्य स्वीकृत	17.46
20	ग्राम ओनाकोना जिला बालोद को पर्यटन स्थल के रुप में विकसित करना (मान . मुख्यमंत्री जी की घोषणा)	–	–	–	–	कार्य स्वीकृत	20.90
21	सतरेंगा जिला कोरबा में जल पर्यटन का विकास।	कार्य प्रगति पर है।	–	कार्य प्रगति पर है।	265.76	कार्य प्रगति पर	–

राम वनगमन पर्यटन परिपथ –

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में संस्कृति, परंपरा व श्री राम वनगमन मार्ग के ऐतिहासिक एवं प्राचीन मान्यताओं से पर्यटकों को परिचित कराने राम वनगमन पर्यटन परिपथ के विकास की योजनाओं पर प्रथम चरण में 10 स्थलों का चयन किया गया है। इन स्थलों में सीतामढ़ी–हरचौका (कोरिया), रामगढ़ (सरगुजा), शिवरीनारायण (जांजगीर–चांपा), तुरतुरिया (बलौदाबाजार), चंद्रखुरी (रायपुर), राजिम (गरियाबंद), चम्पारण्य (रायपुर) नगरी–सिहावा–सप्तऋषि आश्रम (धमतरी), जगदलपुर (बस्तर), रामाराम (सुकमा) शामिल है।

- राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत चिन्हांकित स्थलों में विकास कार्यो के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत राशि रू. 162.15 करोड़ की लागत से इस परियोजना के अंतर्गत चिन्हांकित 10 स्थलों में प्रभु श्रीराम जी की मूर्ति, दीप स्तंभ, रामायणा इंटरप्रिटेशन सेंटर–पर्यटक सूचना केन्द्र, कैफेटेरिया, डोरमेट्री, कॉटेज, पेयजल सुविधा, पब्लिक शौचालय, ध्यान केन्द्र, मॉडयूलर शॉप, घाट निर्माण –सौदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण पहुंच मार्ग के विकास आदि का कार्य कराया जा रहा है।

- चंदखुरी, शिवरीनारायण, राजिम, चम्पारण्य, सीतामढ़ी–हरचौका, रामगढ़, श्रृंगी–ऋशि आश्रम एवं मुकुंदपुर–नगरी (सिहावा), का लोकार्पण किया गया है।

- छत्तीसगढ़ शासन लोकनिर्माण विभाग द्वारा राम वनगमन पर्यटन परिपथ में शामिल राश्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, एम.डी.आर एवं अन्य मार्गो में स्वागत द्वार, केंटीलीवर, साइनेजेस (लगभग 2260 किमी) लगाया जा रहा है

- राम वनगमन पर्यटन परिपथ के मार्गो में वृहत वृक्षारोपण एवं बायोडायवरसिर्टी पार्क की स्थापना वन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

16.6 नागरिक पंजीयन प्रणाली :–

जन्म पंजीयन को बच्चे के पहले अधिकार के रूप में जाना जाता है। ''**जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969**'' एवं ''**जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023**

(संशोधित)'' अंतर्गत, भारत देश में घटित हर एक जन्म एवं मृत्यु की घटना का पंजीकरण अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म मृत्यु की घटना का पंजीकरण **"छत्तीसगढ़ जन्म–मृत्यु पंजीयन नियम 2001"** के अंतर्गत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ में, वर्ष 2008 से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में जन्म–मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण पुलिस थानों में किया जाता था, जो जनवरी 2008 से ग्रामीण इकाइयों को हस्तांतरित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत प्राथमिक पंजीकरण इकाई है। राज्य के 28 जिलों में 11,654 ग्राम पंचायत में सचिव, पंचायत के अधिकार क्षेत्र के भीतर जन्म–मृत्यु पंजीयन करते हैं।

रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) ग्राम पंचायत सचिव, पंजीयन करने के पश्चात्, सभी वैधानिक भाग को अपने पास सुरक्षित रखते हैं, एवं सभी सांख्यिकी भागों को जनपद पंचायत में हर महीने की मासिक बैठक में अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) जनपद पंचायत सीईओ को प्रस्तुत करते हैं। छत्तीसगढ़ में 146 जनपद पंचायत हैं। हर महीने जनपद पंचायत उनके अधिकार क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायतों से सांख्यिकी भाग मासिक सारांश के साथ एकत्र करके जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय में जमा करते हैं।

राज्य में कुल 173 शहरी इकाइयां है, जो कि तीन भागों में विभाजित है : (1) नगर निगम, (2) नगर पालिका परिषद एवं (3) नगर पंचायत। नगर निगम में आयुक्त एवं नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत मुख्य नगर पालिका अधिकारी रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) है।

इसके अतिरिक्त राज्य में सभी शासकीय अस्पताल यथा – जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, अन्य शासकीय अस्पताल एवं सार्वजनिक उपक्रम के अस्पतालों में घटित जन्म–मृत्यु (संस्थागत घटनाओं) का पंजीयन इन संस्थाओं में होता है।

राज्य में समस्त पंजीयन इकाइयों द्वारा ऑनलाईन जन्म–मृत्यु पंजीयन भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के वेबपोर्टल पर किया जाता है एवं संचालनालय द्वारा उक्त डाटा को वेबपोर्टल से डाउनलोड एवं विश्लेषण कर राज्य की रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली को प्रेशित की जाती है।

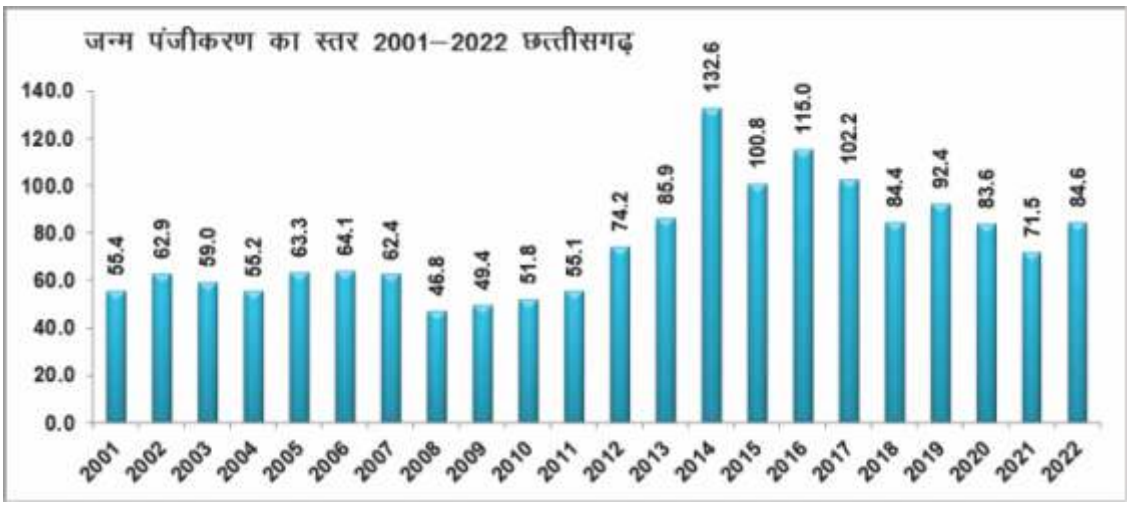

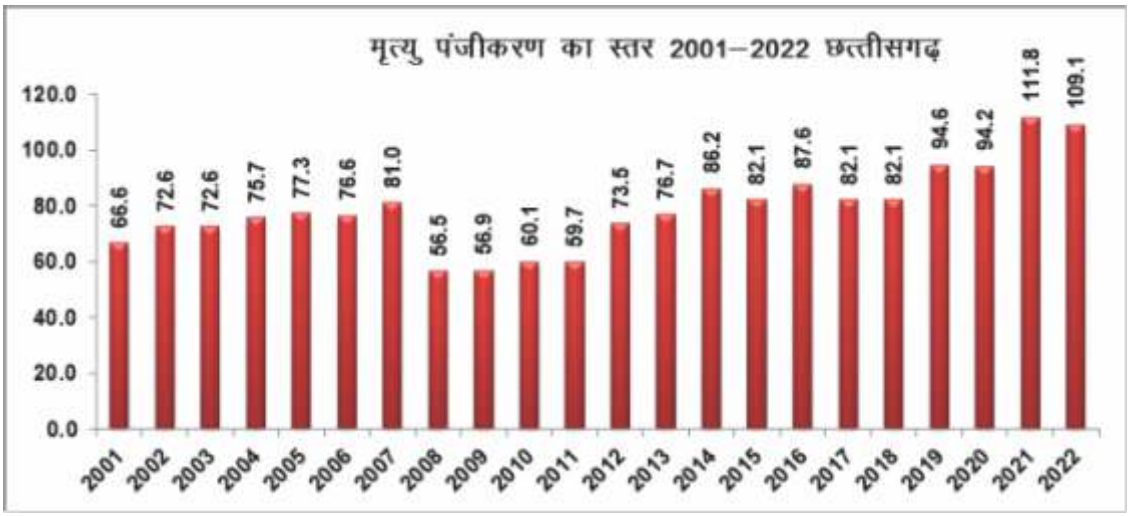

Source: Annual Vital Reports

BIRTH 2019 (%)
CHHATTISGARH - 92.4
KOREA
BALRAMPUR
SURAJPUR
112.9
SURGUJA
JASHPUR
94.2
BILASPUR
97.4
KORBA
93.5
RAIGARH
87.7
MUNGELI
KABIRDHAM
JANJGIR-CHAMPA
98.9
BEMETARA
82.6
BALODA BAZAR
RAJNANDGAON
83.4
DURG
97.2
RAIPUR
101.4
MAHASAMUND
DHAMTARI
104.4
BALOD
GARIYABAND
91.5
KANKER
73.5
KONDAGAON
99.4
NARAYANPUR
133.1
BASTAR
117.7
DANTEWADA
107.4
BIJAPUR
SUKMA
95.7
Legends
91 & above
61-90
00-60

BIRTH 2020 (%)
CHHATTISGARH - 83.6
KOREA
100.7
BALRAMPUR
SURAJPUR
94.2
SURGUJA
JASHPUR
GAURELLA-PENDRA-MARWAHI
KORBA
RAIGARH
MUNGELI
BILASPUR
92.7
KABIRDHAM
JANJGIR-CHAMPA
BEMETARA
BALODA BAZAR
71.0
RAJNANDGAON
74.4
DURG
RAIPUR
MAHASAMUND
BALOD
DHAMTARI
GARIYABAND
KANKER
KONDAGAON
NARAYANPUR
BASTAR
DANTEWADA
94.7
BIJAPUR
SUKMA
Legends
91 & above
61-90
00-60

BIRTH 2021 (%)
CHHATTISGARH - 71.5
KOREA
BALRAMPUR
SURAJPUR
SURGUJA
JASHPUR
GAURELLA-PENDRA-MARWAHI
KORBA
71.1
RAIGARH
MUNGELI
BILASPUR
KABIRDHAM
JANJGIR-CHAMPA
BEMETARA
BALODA BAZAR
RAJNANDGAON
60.2
DURG
RAIPUR
74.4
MAHASAMUND
BALOD
DHAMTARI
GARIYABAND
KANKER
KONDAGAON
NARAYANPUR
BASTAR
DANTEWADA
BIJAPUR
SUKMA
Legends
91 & above
61-90
00-60

BIRTH 2022 (%)
CHHATTISGARH - 84.6
KOREA
BALRAMPUR
SURAJPUR
SURGUJA
JASHPUR
GAURELLA-PENDRA-MARWAHI
KORBA
RAIGARH
MUNGELI
BILASPUR
KABIRDHAM
JANJGIR-CHAMPA
BEMETARA
BALODA BAZAR
RAJNANDGAON
DURG
RAIPUR
MAHASAMUND
BALOD
DHAMTARI
GARIYABAND
KANKER
KONDAGAON
NARAYANPUR
115.7
BASTAR
DANTEWADA
BIJAPUR
SUKMA
Legends
90 & above
60-89
00-59

DEATH 2019 (%)
CHHATTISGARH- 94.6
KOREA 101.3
SURAJPUR 67.8
SURGUJA 90.1
JASHPUR 83.6
BILASPUR 105.3
KORBA 85.2
MUNGELI 66.4
RAIGARH 89.8
JANJGIR-CHAMPA 98.9
KABIRDHAM 63.7
BEMETARA 82.0
BALODA BAZAR 90.0
RAJNANDGAON 103.1
DURG 105.8
RAIPUR 141.6
MAHASAMUND 75.6
BALOD 120.3
DHAMTARI 103.2
GARIYABAND 92.3
KANKER 125.2
KONDAGAON 92.5
NARAYANPUR 116.5
BASTAR 107.4
DANTEWADA 107.1
BIJAPUR 72.2
SUKMA 87.9
Legends
91 & above
61-90
00-60

DEATH 2020 (%)
CHHATTISGARH - 94.2
KOREA 92.6
SURAJPUR 84.4
SURGUJA 89.1
JASHPUR 78.0
GAURELLA-PENDRA-MARWAHI 86.2
KORBA 79.3
RAIGARH 100.2
MUNGELI 67.1
BILASPUR 126.7
KABIRDHAM
JANJGIR-CHAMPA 84.1
BEMETARA 68.5
BALODA BAZAR 77.6
RAJNANDGAON 98.4
DURG 111.9
RAIPUR 154.8
MAHASAMUND 73.0
BALOD 126.1
DHAMTARI 103.2
GARIYABAND 96.8
KANKER 123.2
KONDAGAON 90.9
NARAYANPUR 102.1
BASTAR 101.1
DANTEWADA 103.4
BIJAPUR 82.5
SUKMA 97.1
Legends
91 & above
61-90
00-60

DEATH 2021 (%)
CHHATTISGARH - 111.8
KOREA 126.9
SURAJPUR 70.9
SURGUJA 101.8
JASHPUR 88.5
GAURELLA-PENDRA-MARWAHI 110.4
KORBA 110.0
MUNGELI 76.6
BILASPUR 140.3
RAIGARH 110.8
KABIRDHAM 68.3
JANJGIR-CHAMPA 109.6
BEMETARA 119.2
BALODA BAZAR 162.6
RAJNANDGAON 115.7
DURG 133.9
RAIPUR 177.3
MAHASAMUND 100.9
BALOD 138.4
DHAMTARI 126.3
GARIYABAND 115.0
KANKER 131.6
KONDAGAON
NARAYANPUR
BASTAR 113.0
SUKMA
Legends
91 & above
61-90
00-60

DEATH 2022 (%)
CHHATTISGARH - 109.1
KOREA 107.6
SURAJPUR 78.9
SURGUJA 133.4
JASHPUR 91.1
GAURELLA-PENDRA-MARWAHI 102.9
KORBA 105.8
RAIGARH 112.5
MUNGELI 82.9
BILASPUR 111.6
KABIRDHAM
JANJGIR-CHAMPA 108.8
BEMETARA 95.7
BALODA BAZAR 101.3
RAJNANDGAON 104.1
DURG 113.2
RAIPUR 150.0
MAHASAMUND 91.3
BALOD 136.4
DHAMTARI 120.6
GARIYABAND 117.3
KANKER 134.0
KONDAGAON 109.9
NARAYANPUR 92.7
BASTAR 130.8
DANTEWADA 115.4
BIJAPUR 90.6
SUKMA 112.0
Legends
90 & above
60-89
00-59